कार्यालय परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना अं.चौकी, जिला– मोहला मानपुर अं.चौकी(छ.ग.)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

.कमांक / 522 / म.बा.वि.परि / 2026–27 **दिनॉक 30 / 10 / 2026**

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक / 728 / 1098 / 2008 म.बा.वि. / 50 रायपुर दिनाँक 02 / 04 / 2008 नियुक्ति निर्देश एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छ.ग. इन्द्रावती भवन ब्लाक –01 द्वितीयतल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रंमाक / IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/ नवा रायपुर दिनाँक 05 / 01 / 2026 के द्वारा आ.बा. कार्यकर्ता / सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना अं. चौकी, जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी नगरीय भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम की निवासी) **ई– भर्ती पोर्टल URL-https;aww.e-bharti.in/ में दिनांक 02 / 11 / 2026 से 16 / 11 / 2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकती है। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई– भर्ती पोर्टल के Uuser Manual में दर्शित है, जिसका उपयोग करके ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।** परियोजना कार्यालय या डॉक से प्रेषित आवेदनों का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

रिक्त पद का विवरण इस प्रकार है–

क्र.	केन्द्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम
01	मुख्यबस्ती कुण्डेराटोला	नीचेकोहडा	कार्यकर्ता

आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवश्यक अर्हतायें एवं शर्तेः–

01. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगें।

02. यह पद पूर्णतः मानसेवी है तथा अशासकीय पद है।

03. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी)। ऐसी कार्यकर्ता / सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र की मान्य किया जावेगा।

04. आवेदिका प्राथिमिकता से उसी ग्राम की होगी। जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहाँ पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा–

क. उस ग्राम / नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें।

अथवा

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

30/10/2026

टीपः– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

05. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता(आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगी–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

06. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवी तक अध्ययन करने पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर अतिरिक्त अंक दिये जायेंगें।

08. विधवा एवं परित्यक्ता महिला को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी उक्त हेतु विधवा महिला होने की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,परित्यक्ता महिला होने की दशा में दो वर्ष से अधिक की अवधि मान्य होगी एवं इसके सरपंच सचिव द्वारा प्रमाणित परित्यक्ता प्रमाण पत्र मान्य किया सत्संबंध में जावेगा तलाकशुदा महिला होने की दशा में तत्संबंध न्यायालयीन आदेश की प्रति अनिवार्य होगी।

09. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 2011 की जनगणना सर्वेक्षण में प्राप्त वचंन सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवाय्र होगा तथा परिवार ड्राप सूची की छायाप्रति भी सलंग्न करना अनिवार्य होगा एवं राशन कार्ड की छायाप्रति जिसमें परिवार का नाम प्रदर्शित हो।

10. आवेदन तथा समस्त दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. आवेदन के साथ अंकसूची/ प्रमाण पत्र सहित आवश्यक सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होना अनिवार्य होगा एवं समस्त दस्तावेजो को ऑनलाईन ई –भर्ती पोर्टल में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

12. आवेदन उपरान्त में दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई –भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन कर व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करेंगें दावापत्ति अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

13. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक हेतु ऑनलाईन आवेदन भरा जावे।

30/10/2026

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अं. चौकी
जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी(छ.ग.)

पृ.क/ 523/म.बा.वि.परि./स्था/2026–27 दिनाँक ..30/10/2026

प्रतिलिपि :–

01. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मोहला मानपुर अं. चौकी को सादर सूचनार्थ।
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अं. चौकी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

03. माननीय सभापति/सदस्य महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य समिति जनपद पं. अं. चौकी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. संरपच ग्राम पंचायत नीचेकोहड़ा को सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना अं. चौकी ओर सूचनार्थ।
06. कार्यालय परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अं. चौकी एवं जनपद पंचायत अं. चौकी के सूचना फलक

30/10/2026

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अं. चौकी
जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी(छ.ग.)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका पद हेतु आवेदन के साथ जमा किये गये दस्तावेंजों की पावती
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका भर्ती आंगनबाड़ी केन्द्र :–

क्र.	संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची	स्वप्रमाणित छाया प्रति	संलग्न हां/ नही	रिमार्क
1.	शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	कक्षा आठवी		
		कक्षा दसवी		
		कक्षा बारहवीं		
2.	स्थानीय निवास होने संबंधी प्रमाण पत्र	सरपंच, सचिव द्वारा जारी		
		अद्यतन मतदाता सूची		
3.	प्रभावशाली गरीबी रेखा की सूची का प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) द्वारा जारी		
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी(छ.ग. राज्य के अन्तर्गत किसी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा जारी		
5.	विधवा /परित्यक्ता/तलाकशुदा होने के संबंध में प्रमाण पत्र	विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र		
		परित्यक्ता की स्थिति में सरपंच, सचिव का प्रमाण पत्र (दो वर्ष से अधिक अवधि)		
		तलाकशुदा की स्थिति में न्यायलय द्वारा पारित आदेश/ डिक्री		
6.	अनुसूचित जाति/जनजाति के कन्या आश्राम में पढ़े होने का प्रमाण पत्र	संस्था प्रमुख द्वारा जारी (8 वीं तक)		
7.	पूर्व में कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/ सहसहायिका आदि होने पर प्रमाण पत्र	परियोजना अधिकारी द्वारा जारी		

प्रभारी लिपिक मे हस्ताक्षर

नाम–

दिनांक –2026

आवेदिका के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

पूरा नाम–

निवासी ग्राम –.....